



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275161
CG-DL-E-04082026-275161

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4126]
No. 4126]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 03, 2026/श्रावण 12, 1948
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 03, 2026/SHRAVAN 12, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4302(अ).—केंद्र सरकार, न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उपधारा) 2) तथा न्यायाधिकरण) सेवा की शर्तें (नियम, 2021 के नियम 3(12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने दिनांक 25.07.2026 के पत्र संख्या 9/17/2022-ईओ(एसएम-II) के माध्यम से प्रेषित मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की स्वीकृति के अनुसरण में, एतद्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एनसीडीआरसी) के निम्नलिखित सदस्यों का कार्यकाल 05.08.2026 से 08.09.2026 तक अथवा 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तारित करती है :

क्र.सं.	माननीय सदस्य का नाम
1.	न्यायमूर्ति श्री सुदीप अहलूवालिया
2.	डॉ. इंदर जीत सिंह

2. इन नियुक्तियों की सेवा की शर्तें न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021, न्यायाधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 तथा इस विषय पर केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य लागू निर्देशों, यदि कोई हों, के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगी।

[फा. सं. जे-1/7/2021- सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4302(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Tribunals Reform Act, 2021 and the Rule 3(12) of the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021 and with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) conveyed by the Department of Personnel and Training vide communication no 9/17/2022-EO(SM-II) dated 25.07.2026, the Central Government hereby extends the tenure of the following Members of the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC), with effect from **05.08.2026** and upto **08.09.2026**, or until attaining the age of **67 years**, or until further orders, whichever is the earliest:

S.No.	Name of the Hon'ble Member
1.	Justice Shri Sudip Ahluwalia
2.	Dr. Inder Jit Singh

2. The terms and conditions of these appointments shall be regulated in terms of the provisions of the Tribunals Reform Act, 2021, the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021 and other instructions on the matter, if any, issued by the Central Government from time to time.

[F. No. J-1/7/2021- CPU]

ANUPAM MISHRA, Addl. Secy.